RAJYA SABHA

Friday, the 1st March, 1996/11th Phalguna 1917 (Saka)

The House met at eleven of the clock, **Mr. Chairman** in the Chair

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*61. *[The questioner (Shri Ghufran Azam) was absent. For answer, vide col. 29 infra.]*

*62. *[The questioners (Shri Pramod Mahajan and Shri Viren J. Shah were absent. For answer, vide vol. 31 infra.]*

Shortfall in the Production of Foodgrains

*63. SHRI GOVINDRAM MIRI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether production of Foodgrains in the current year is likely to fall short of the target;

(b) if so, the estimated quantity of the shortfall;

(c) whether the shortfall is likely to have an impact on foodgrain prices as well as on the buffer stock position/ operations;

(d) if so, the manner in which Government propose to neutralize the impact; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MD. AYUB KHAN): (a) The production of foodgrains in the current year may fall short of the target slightly.

(b) As per available assessment, the production of total foodgrains during 1995-96 is likely to be around 190 million tonnes against the target of 192 million tonnes.

(c) to (e) The marginal shortfall in production of foodgrains as compared to the target, is not likely to affect the domestic supply in any significant manner. Since there is a large carry-over stock, it would not have any adverse impact on foodgrain prices as also buffer stock position.

श्री गोविन्दराम मिरी: सभापति महोदय, पूरे देश में इस वर्ष काफी अच्छी वर्षा हुई है और सरकार अपनी विभिन्न रिपोर्टों में यह दावा करती है कि हम कृषि के क्षेत्र में विश्व से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और हमारा उत्पादन बढ़ता जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो उन्होंने कहा है कि उत्पादन लक्ष्य से कुछ कम हो सकता है और 192 मिलियन मीटरी टन के लक्ष्य की तुलना में 190 मिलियन मीटरी टन होने की संभावना है, इस कमी के क्या कारण हैं और ऐसे कौन से तत्व हैं जो कृषि उत्पादन को प्रभावित करते हैं, क्या उनमें सुधार करने का कोई लक्ष्य रखा गया है, कोई ठोस उपाय किया गया है?

मेरे प्रश्न का (बी) भाग है कि क्या कृषि उत्पादकों को उनके उत्पादन लागत की तुलना में उनके माल की पूरी कीमत दी जाने की कोई व्यवस्था है? मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या खाद्यान्न के मामले में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गए हैं?

श्री मोहम्मद अयूब खान: मोहतरम चेयरमैन साहब, जैसा मैंने बताया है कि हम लक्ष्य से मामूली कम है। हमारा लक्ष्य था 192 मिलियन मीटरी टन का और जो हमारी फसल अभी खड़ी है उसको मद्देनजर रखते हुए हम 190 मिलियन मीटरी टन तक पहुंचे हैं। विवरण इस तरह से हैं—राइस के अंदर लक्ष्य था 80 मिलियन टन का, जिसको हमने प्राप्त किया है 80 मिलियन टन पर। हमारा व्हीट का लक्ष्य था 60 मिलियन टन का और हमने 65 मिलियन टन प्राप्त किया है, हमारा मोटे अनाज का लक्ष्य था तकरीबन 16 मिलियन टन का जो हम हासिल कर रहे हैं 30 मिलियन टन पर तथा हमारा प्लसेज का लक्ष्य था 15.50 मिलियन टन का जो हम हासिल कर रहे हैं 14.80 मिलियन टन पर।

इसलिए जो थोड़ी सी कमी होने की संभावना है वह मोटे अनाज और पल्सेज में है। इसकी वजह क्या है कि समय पर बारिश नहीं हुई, बारिश थोड़ी देर में हुई और कुछ जगह पर फ्लड आया जिसकी वजह से हमें खाद्यान्न उत्पादन में थोड़ी सी कमी की संभावना दिखाई दे रही है। बारिश अगर अच्छी होती तो यह मामला नहीं होता। इसमें कोई शक नहीं कि हम खाद्यान्नों में काफी आगे है, हम दुनिया में एक मुकाम रखते हैं। हम किसानों की जरूरत के मुताबिक समय-समय पर सपोर्ट-प्राइस का भी बंदोबस्त रखते हैं जो कि अभी हमने ऐनाऊंस किया है।

श्री गोविन्दराम मिरी: सभापति महोदय, इसमें यह बताया गया है कि उत्पादन में कमी होने के बाद भी स्वदेशी आपूर्ति पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस समय देश में खाद्यान्न का स्टॉक कितना है? क्या मंत्री जी यह बता सकेंगे कि पिछले 3 वर्षों में कोई खाद्यान्न बाहर से आयात किया गया है? यदि हां, तो वे उसका विवरण दें। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या पिछले 3 वर्षों में खाद्यान्न का कोई निर्यात किया गया है? यदि हां, तो वे उसका विवरण दें।

श्री मोहम्मद अयूब खान: हमारा जो लक्ष्य था, एम उस लक्ष्य की प्राप्ति के करीब हैं क्योंकि जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर हम उम्मीद रखते हैं कि जो हमारा लक्ष्य है, उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। हमारी पापुलेशन के लिहाज़ से जो हमारी जरूरियात हैं, उनके मुताबिक भी हम इस लक्ष्य की पूर्ति कर पाएंगे। अभी हम खाद्यान्नों में किसी भी चीज का एक्सपोर्ट न कर पाने की पोज़ीशन में हैं। हम सिर्फ चावल का एक्सपोर्ट करते हैं। हम बासमती और नॉर्मल चावल के अंदर थोड़ा एक्सपोर्ट करते हैं।

श्री गोविन्दराम मिरी: कितना करते हैं आप एक्सपोर्ट? आपने कोई खाद्यान्न मंगाया है कि नहीं? एक्सपोर्ट आपने किया है थोड़ी मात्रा में। मैं जानना चाहता हूं कि कितनी मात्रा में आपने एक्सपोर्ट किया है...(व्यवधान) मैंने आयात भी पूछा, निर्यात भी पूछा।

श्री मोहम्मद अयूब खान: अब चावल का थोड़ा-बहुत एक्सपोर्ट किया है।

श्री गोविन्दराम मिरी: कितना किया है? उससे कितनी विदेशी मुद्रा हमको प्राप्त हुई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री तथा कृषि मंत्री (डा० जगन्नाथ मिश्र): अलग-अलग आंकड़े इस वक्त उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि यह माननीय सदस्य के प्रश्न से संबंधित नहीं है। परन्तु यह स्पष्ट है कि 13,000 करोड़ रुपए का अनाज देश से बाहर भेजा गया है, निर्यात किया गया है। देश में 35 मिलियन टन अनाज का भंडार है, इसलिए कोई संभावना नहीं है कि हम बाहर से अपने खाने के लिए अनाज मंगाएं।

SHRI NILOTPAL BASU: Mr. Chairman, Sir, the reply given to this question actually exposes the kind of falsehood that the Government indulges in. In the President's Address also, the Government made tall claims about the agricultural production reaching a record level. Now what is significant is the Minister has said that of the shortfalls the most significant shortfall is in the area of coarse foodgrains. And this was the apprehension that we had been expressing for the last couple of years, that already there was a shift in terms of the structure of agricultural production from foodgrains to commercial crops, and within the food crops also, from finer and super-fine varieties to coarse foodgrains. The point is we feel rather apprehensive; they are saying that it is a very little shortfall, but you remember, Sir, what happened in the case of sugar. So, the point is what the contingency plan is.

The point is: Who will suffer because of this? I would like to know whether any cut in the public distribution system will take place or not. The Government should give us an assurance that they will evolve an emergency plan, a contingency plan, to see to it that the prices, particularly the prices of coarse foodgrains, which hit the poorer sections the most, will not be affected. What is the contingency plan? They have conceded that there will be a shortfall. So, what is the contingency plan? How are they going to implement it?

श्री मोहम्मद अयूब खान: मोहतरम चेयरमैन साहब, जैसे मैंने बताया था कि इस टाईम मानसून 15 दिन लेट आया जिसके बिनाह पर जो मोटा अनाज है उसकी फसल के फौरन बाद जो उसके टाईम पर डिपेंड करता है और हमारी अभी पूरी कोशिश है क्योंकि हमने मोटे अनाज में हाईब्रिड तैयार किया है जिससे हमारी भविष्य में जो कमी है वह कमी नहीं रह पाएगी। यह जरूरी है किजो हमारा मोटे अनाज का कुछ भाव कम हुआ है जिससे कि फार्मर्स को जरूर थोड़ा सा नुकसान है लेकिन यूजर्स को उसका फायदा है।

SHRI NILOTPAL BASU: Mr. Chairman, Sir, he has not specifically answered the question.

श्री मोहम्मद अयूब खान: ऐसा मेरा मानना है कि मोटे अनाज में हम किसी भी कीमत पर सैल्फ सफिसिएंट होंगे, क्योंकि हमारे पास इसकी हाईब्रिड तैयार हुई है जो कि हम जल्दी ही उनको देंगे जिससे कि हमारा प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ पाएगा।

SHRI NILOTPAL BASU: Mr. Chairman, Sir, he has not specifically answered the question. What is the contingency plan of the Government?

MR. CHAIRMAN: He said that there wouldn't be any shortfall.

SHRI NILOTPAL BASU: He has admitted that there will be a shortfall. He has admitted that the coarse foodgrains will be affected. Mr. Chairman, Sir, I am sorry to say... *(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: The production fall has been so minimal that he does not expect a contingency plan. *(Interruptions)*... Shri V. Narayanasamy.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, the hon. Minister has given the figures about the foodgrain production in this country. There is a record production of 192 million tonnes compared to last year's 185 million tonnes. Now the problem is regarding stocking the foodgrains. That is a major problem. We find that 15% to 20% of the foodgrains stored in various godowns of the FCI and in other places are being damaged because of the latest technology not being adopted by the Ministry of Agriculture and the Ministry of Civil Supplies thereby causing a national waste. I agree with the hon. Minister that 35 million tonnes is the stock which the Government of India is having consistently for the last three years to meet the demands of the people from the States. Now a situation has come where the States are not in a position to lift even the required quantity because of the buffer stock in the States. Therefore, I would like to know from the hon. Minister what strategy or plan they have got to minimise the losses in storing the foodgrains. Our achievement is all right. But how do we keep the foodgrains in a consumable condition for the public? There are a lot of complaints from the public and also from the State Governments that the foodgrains which are being supplied to them are not stored properly and they are not fit for human consumption. What is the Agriculture Ministry doing in co-ordination with the Civil Supplies Ministry for the purpose of preserving the foodgrains in a good condition so that they will be fit for consumption?

डा० जगन्नाथ मिश्र: महोदय, यह भंडारण की समस्या अलग से है और फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया के जुम्मे है कि जो अनाज का भंडारण करते हैं, उनके गोदामों में करते है और खाद्य मंत्रालय की ओर से उसको बंद किया जाता है, व्यवस्था की जाती है। हमारा संबंध तो उत्पादन से है और उत्पादन की प्रक्रियाओं को सही रखना और जहां पर कि उत्पादन गिरावट की संभावना हो उससे उसको बचाने का उपाय करना इस मंत्रालय का दायित्व है। फिर भी चेष्टा की जा रही है कि किसानों को भी भंडारण की सुविधाएं दी जाएं और फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया की तरफ से रखरखाव में व्यवस्था की जाए कि उसकी किस्म न घटने पाए, बुरी न होने पाए। यह व्यवस्था भी सरकार की ओर से लगातार की जा रही है।

श्री ईश दत्त यादव: माननीय सभापति जी, कृषि मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि 2 मिलियन के खाद्यान्न की कमी इस देश में होने जा रही है और इसका कारण

इन्होंने बताया है, बाढ़ आ गई थी। बाढ़ के कारण इस खाद्यान्न की कमी हो रही है। मेरी निश्चित जानकारी है और यहां उर्वरक और रसायन मंत्री जी भी बैठे हुए है, कि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं कराई गई और जो खाद उपलब्ध कराई गई, वह महंगी उपलब्ध कराई गई। इसलिए किसान उर्वरक का प्रयोग नहीं कर पाए और उर्वरक का प्रयोग न होने के कारण, जो भारत सरकार की लापरवाही थी, खाद्यान्न की कमी हुई है। तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अगर बाढ़ ही कारण है तो भविष्य में इसके नियंत्रण के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं और पार्ट बी मेरे प्रश्न का यह होगा कि पिछले साल मान्यवर, बड़ा हंगामा हुआ संसद में भी और देश में भी चीनी वाले मामले को ले करके तो कहीं देश में लोगों को खाने के लिए अन्न की कमी तो नहीं पड़ने वाली है और अगर अन्न की कमी पड़ने वाली है तो इसके लिए क्या सरकार संजग है बाहर से खाद्यान्न मंगाने के लिए?

डा० जगन्नाथ मिश्र: सभापति जी, पहली बात तो यह कि अन्न का संकट होने की कोई संभावना नहीं है। हम राष्ट्र को आश्वस्त करते हैं कि इस देश के लोगों को अनाज का अभाव नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी बात जहां तक है कि बाढ़ के कारण या वर्षा के अभाव के कारण है तो वह तो प्राकृतिक कारण है इसलिए सरकार के नियंत्रण में नहीं है। न बाढ़ सरकार के नियंत्रण में है न बारिश सरकार के नियंत्रण में है फिर भी सरकार की ओर से चेष्टा की जा रही है कि ऐसी योजनाएं बना कर बाढ़ नियंत्रण के कार्यक्रमों में तेजी लाए और यदि वर्षा का अभाव होता है तो वहां पर सिंचाई की कोई दूसरी व्यवस्था कर सकें। इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय इस चेष्टा में है कि वाटर शेड के प्रबंधन से वहां ऐसी व्यवस्था की जाए कि किसान को उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिल सके।

श्री ईश दत्त यादव: उर्वरक का तो आपने उत्तर दिया नहीं जो मुख्य कारण रहा है खाद्यान्न की कमी का।

डा० जगन्नाथ मिश्र: जितना मार्जिनल फाल हो रहा है, जितना उत्पादन घट रहा है, इसके लिए हम उर्वरक को जिम्मेदार नहीं मानते हैं। जैसा हमने कहा, प्रारंभ में हमारे मंत्री जी ने कहा कि यह वर्षा और बाढ़ की वजह से ही थोड़ी सी गिरावट हो रही है। जो उर्वरक की संख्या निधारित की गई है मंत्रालय की ओर से उसकी आपूर्ति रसायन मंत्रालय की ओर से समय-समय पर की जाती रही है।

श्री राजनाथ सिंह: सभापति महोदय, हमारे ही देश के दो राज्यों में पंजाब और हरियाणा में औसत पर-हेक्टेयर यील्ड जो हमारे देश की है, उससे कहीं ज्यादा उत्पादन होता है। पर हेक्टेयर यील्ड पंजाब और हरियाणा की हमारे देश की औसत जो पर हेक्टेयर यील्ड है उससे ज्यादा है। केवल हमारे देश के दो राज्यों की ही नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देश चाइना की भी पर हेक्टेयर यील्ड भारत से सवा दो गुना अधिक है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सरकार के पास कोई ऐसी परफेक्ट और कांप्रहैंसिव योजना है जिसके तहत देश के अन्य राज्यों की भी पर हेक्टेयर यील्ड यदि सवा दो गुना न की जा सके तो दोगुनी की जा सके, ऐसी कोई योजना है?

श्री जगन्नाथ मिश्र: सभापति जी, माननीय सदस्य को जानकारी होगी कि प्रत्येक साल प्रति हेक्टेयर में उत्पादन की क्षमता हमारी बढ़ती जा रही है, 87-88 से अगर प्रारंभ करें तो जहां प्रति हेक्टेयर 1173 किलोग्राम उत्पादन था वह 94-95 में बढ़ते हुए 1547 किलोग्राम हुआ है। इसलिए हमारी वैज्ञानिक खोज से, कृषि वैज्ञानिकों की मेहनत से जो नई व्यवस्थाएं की जा रही हैं उनसे उत्पादन बढ़ता जा रहा है प्रति एकड़ के हिसाब से। हम दूसरे राष्ट्रों के बराबर न पहुंच पाए हों लेकिन हमारे देश में भी लगातार उत्पादन की क्षमता बढ़ती जा रही है।

डा० बापू कालदातेः सभापति महोदय, एक बुनियादी सवाल जो इस बहस में तैयार हो रहा है, यह है कि क्या केवल वर्षा के अभाव से या वर्षा ज्यादा होने से उत्पादन कम हो रहा है या गए तीन-चार सालों में जो खाद्यान्न उपज का क्षेत्र है, वह धीरे-धीरे कम हो रहा है और फलोत्पादन तथा वाणिज्य कृषि की जो उपज करने वाली चीज़ें हैं, उन पर लगातार अपना क्षेत्र बढ़ता जा रहा है?

जहां तक मेरी जानकारी है पिछले चार-पांच सालों में फल उत्पादन तथा वाणिज्य कृषि वाला क्षेत्र तीन से पांच फीसदी तक बढ़ गया है, अगर यह बात सही है और धीरे-धीरे हम इसी उत्पादन में जाते रहेंगे तो भले ही आप हमें कितने ही आश्वासन दें, लेकिन खाद्यान्न की पूर्ति कुछ सालों के बाद करना मुश्किल हो जाएगा, क्या यह सरकार के ध्यान में आया है? और मैंने जो पूछा कि

कृषि का, खाद्यान्न का क्षेत्र कम होता जा रहा है, क्या यह बात सच है?

डा० जगन्नाथ मिश्र: थोड़ी बहुत मर्जिनल गिरावट की सूचना तो है, परन्तु हमारे खाद्यान्न के उत्पादन के लक्ष्य पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए कि हमारा उत्पादन नई खोज के आधार पर निरन्तर बढ़ता जा रहा है। जहां तक फल और सब्जी की खेती का सवाल है, यह बात सही है कि किसानों की नई प्रवृत्ति व्यवसायीकरण की, कामर्शियलाइजेशन की है, इसे सरकार की तरफ से प्रोत्साहन भी दे रहे है। हार्टीकिल्चर की खेती के लिए जहां सातवीं योजना में केवल 24 करोड़ रुपये का प्रबंध था वहीं आठवीं योजना में हमने एक हजार करोड़ रुपये का प्रबंध किया है, खासतौर से किसानों की मदद के लिए, आमदनी बढ़ाने के लिए, लेकिन सरकार जागरूक है कि हमार खाद्यान्न के उत्पादन के ऊपर इसका असर न पड़े। खाद्यान्न की जितनी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति हम करते रहेंगे, लेकिन किसान अगर धन कमाना चाहते हैं नई खेती की प्रवत्ति से या कामर्शियलाईजेशन एग्रीकल्चर की प्रवृत्ति से तो उसको रोकना भी राष्ट्र हित में किसानों के लिए उचित नहीं होगा।

बंजर-भूमि विकास कार्यक्रम

*64. **श्री अजीत जोगी:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बंजर-भूमि विकास कार्यक्रम लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कुल कितने एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाया गया;

(ग) राज्य-वार कब तक सम्पूर्ण बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाये जाने की संभावना है;

(घ) क्या राज्यों की बंजर-भूमि विकास संबंधी कोई योजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय बंजर भूमि विकास विभाग में राज्य मंत्री (कर्नल राम सिंह): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जाता है।

विवरण

(क) जी हां

(ख) बंजरभूमि विकास विभाग का सृजन जुलाई, 1992 में किया गया और इसे ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया। राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड का पुनर्गठन किया गया और इसे वनेतर क्षेत्रों में बंजरभूमि विकास के उतरदायित्व के साथ बंजरभूमि विकास विभाग में हस्तांतरित कर दिया गया। यह अवक्रतिम भूमि की रोकथाम, देश में ऐसी भूमि को सतत् उपयोग में लाने तथा बायोमास की उपलब्धता विशेषकर ईंधन लकड़ी और चारे में वृद्धि करने पर जोर देगा। बंजरभूमि अवक्रमित भूमि है जिसका इस समय उपयोग किया जाता हों और जो उचित जल तथा मृदा प्रबंध या प्राकृतिक कारणों की कमी के कारण विकृत होती जा रही है अतः विकास के प्रथम चरण में ऐसी भूमि पर कृषि गतिविधियां सामान्य तौर पर सम्भव नहीं है। बंजर भूमि विकास विभाग को बंजरभूमि कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने ने बजाय बंज़र भूमि को विकास करने का काम सौंपा गया है। बंजरभूमि विकास विभाग निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है।

(1) समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम

(2) अनुदान सहायता योजना

(3) प्रौद्योगिकी विस्तार, विकास एवं प्रशिक्षण योजना

(4) बंजरभूमि विकास कार्य दल

(5) निवेश संवर्धन योजनाइन योजनाओं में शामिल मुख्य गतिविधियां इस प्रकार हैं:—

(1) मृदा एवं नमी संरक्षण

(2) ब्लाक वृक्षारोपण सहित वृक्षारोपण

(3) बागवानी सहित कृषि-वाणिकी

(4) चारा विकास

(5) जागरूकता पैदा करना

ये गितिविधियां सामान्य तौर पर सामुदायिक तथा निजी बंजरभूमि दोनों पर वाटर शेड आधार पर कार्यान्वित की जाती हैं।

(ग) जैसा कि भाग(ख) में बताया गया है कि बंजरभूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करना विभाग का कार्य नहीं है।